न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **21/2022** (अपील)

GCMS No. 2022/00046

अनवान

1. श्री प्रतापलाल पिता श्री हमेराराम मेघवाल निवासी सुरजगढ तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री चम्पालाल उर्फ भंवरलाल मेघवाल पिता गोपाललाल मेघवाल निवासी केसुली तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्रीमती छगनीबाई पत्नी स्व. श्री हमेरा मेघवाल निवासी सुरजगढ तह.गोगुन्दा उदयपुर।
3. श्रीमती संतोष बाई पुत्री स्व. श्री हमेरा मेघवाल निवासी सुरजगढ तह.गोगुन्दा उदयपुर।
4. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री स्व. श्री हमेरा मेघवाल निवासी सुरजगढ तह.गोगुन्दा उदयपुर।
5. श्रीमती केसरबाई पत्नी श्री गोपालाल मेघवाल निवासी केसुली तह.गोगुन्दा उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो. स. 2 से 4।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार गोगुन्दा प्र.स. 4/16 रिमाण्ड निर्णय दिनांक 03.02.2022

* निर्णय *

दिनांक— 31-01-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 अवधी अधिनयम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा में प्रकरण प्रस्तुत किया जो स्वीकार होकर मृतक हमेरा मेघवाल के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को रिमाण्ड किया गया जिस पर तहसीलदार गोगुन्दा ने प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वंय को मृतक हमेरा जी का पुत्र बताकर विरासत से नामान्तरकरण पारित किया जाने का निवेदन किया। जिसके जवाब में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट्स 2 से 4 ने चम्पालाल उर्फ भंवरलाल का मृतक हमेरा से कोई सम्बन्ध नहीं होना एवं हमेरा का पुत्र नहीं होना बताया व ग्राम केसुली का निवासी होकर उसके पिता का नाम गोपाललाल मेघवाल होना बताया। हमेरा जी [illegible]ाण्ट व रेस्पो. स. 2 से 4 वारिस होने से नामान्तरकरण पारित किया जाने का निवेदन किया। [illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन, बिना दस्तावेजों को देख निर्णय पारित फरमा दिया जो न्यायिक [illegible] नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये बयानों में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्वीकार किया कि '' मेरा नाम चम्पालाल कभी नहीं रहा है ना ही चम्पालाल के नाम से कोई दस्तावेज ही मेरे पास है। यह सही है कि हमेरा जी की संतान होने बाबत् मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। यह सही है कि मैं मतदान भंवरलाल पिता गोपाल के नाम से करता हूं। यह सही है कि मेरी माता केसरबाई गोपाललाल के साथ ही पत्नी बनकर रह रही है। यह सही है कि जब हमेरा जी की मृत्यु हुई तब मैं दाह संस्कार में नहीं आया मैं बारवा व तैहरवा पर भी नहीं आया। यह सही है कि मेरी माता केसर गोपाललाल की पत्नी है व उसके दस्तावेज केसुल के बने हुए है। यह सही है कि मेरी माता केसी हमेरा की पत्नी हो इस बाबत् कोई दस्तावेज मैने पेश नहीं किये व इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है।'' उक्त बयानों को पढा जाता तो इस प्रकार का निर्णय पारित किया जाना कदापि सम्भव नहीं था क्योकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जिसके द्वारा अपने आपको हमेरा का पुत्र बताकर व अपनी माता श्रीमती केसी को श्री हमेरा जी की पत्नी बताकर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया था उसके स्वंय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को मृतक श्री हमेरा जी की वारिस मानने का जो आदेश फरमाया है वह प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों के विपरित होने से एवं न्याय एवं प्राकृत न्याय के विपरित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत मोरवल द्वारा प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया उसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं देखा गया। प्रकरण में दिनांक 20.12.2019 को अपीलाण्ट उपस्थित हुआ उक्त दिनांक को प्रकरण में 03.01.2020 की पेशी दी गई उसके बाद प्रकरण में कोई पेशी नहीं दी गई। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.01.2022 को पत्रावली प्रस्तुत हुई व इसके पश्चात दिनांक 03.02.2022 को प्रकरण में बिना अपीलाण्ट को सुने केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत एक तथाकथित अंकतालिका के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो सकी। पता करने पर प्रकरण में दिनांक 03.02.2022 को निर्णय पारित होने का ज्ञान हुआ जिस पर दिनांक 23.05.2022 को निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया व दिनांक 24.05.2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 एवं 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि तहसीलदार [illegible] किया है। चम्पालाल के बयान की जिरह को नहीं पढा। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] में नहीं आता है निर्णय में विवेचन नहीं किया गया है, न हीं कोई [illegible] स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested

किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 द्वारा नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य होना बताकर रिमाण्ड किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 24.05.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार गोगुन्दा के प्र.स. 4/16 निर्णय दिनांक 03.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाण्ट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 चम्पालाल उर्फ भंवरलाल मृतक हमेरा का विधिक वारिस नहीं होकर गोपाललाल मेघवाल का वारिस है। प्रकरण में मृतक हमेरा जी मेघवाल के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को रिमाण्ड किया गया था जिसमें तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा निर्णय पारित किया लेकिन उक्त निर्णय में वारिसो के सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं किया गया है एवं न ही गवाहों के बयानों आदि का अंकन किया गया है। जबकि तहसीलदार को हमेरा के विधिक वारिसान की जांच करने के उपरान्त ही निर्णय पारित करना था लेकिन निर्णय में हमेरा के विधिक वारिसान की जांच एवं दस्तावेजों संबन्धित कोई अंकन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय में त्रृटि होने से पुनः हमेरा के विधिक वारिसान की जांच कर दस्तावेज गवाहों आदि का विवेचन कर निर्णय पारित किया जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा सुरजगढ पटवार हल्का मोरवल तहसील गोगुन्दा का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा पारित किया गया निर्णय प्र.स. 04/2016 दिनांक 03.02.2022 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गोगुन्दा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक हमेरा के विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय में विवेचन करते हुए सभी पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार नामान्तरकरण संबन्धित विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:32 IST
Reason: SelfAttested